Airo National Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2321-3914
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

अंबेडकर नगर जिले में अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक–कानूनी स्थिति: अधिकारों, जागरूकता और पहुँच का विश्लेषण

Sangita Tripathi
Research Scholar
Department-Home Science
P.K.University,shivpuri(m.p.)
aradhanasri20@gmail.com
Prof. Aradhana Srivastava
Supervisor

DECLARATION: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER /ARTICLE, HERE BY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN GENUINE PAPER. IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/OTHER REAL AUTHOR ARISES, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENTFROM THE JOURNAL WEBSITE. FOR THE REASON OF CONTENT AMENDMENT /OR ANY TECHNICAL ISSUE WITH NO VISIBILITY ON WEBSITE /UPDATES, I HAVE RESUBMITTED THIS PAPER FOR THE PUBLICATION.FOR ANY PUBLICATION MATTERS OR ANY INFORMATION INTENTIONALLY HIDDEN BY ME OR OTHERWISE, I SHALL BE LEGALLY RESPONSIBLE. (COMPLETE DECLARATION OF THE AUTHOR AT THE LAST PAGE OF THIS PAPER/ARTICL

सारांश

यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में अनुसूचित जाति (एससी) की महिलाओं की सामाजिक–कानूनी स्थिति की जाँच करता है, जिसमें उनकी जागरूकता, पहुँच और संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्राथमिक और द्वितीयक, दोनों स्रोतों का उपयोग करते हुए, यह शोध लिंग और जाति–आधारित उन प्रतिकूलताओं के अंतर्संबंध को उजागर करता है जो अनुसूचित जाति की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेलती रहती हैं। यह विश्लेषण 110 उत्तरदाताओं के जनसांख्यिकीय आँकड़ों पर आधारित है, जिसमें आयु, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय और कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूकता जैसे कारकों का अध्ययन किया गया है। निष्कर्ष बताते हैं कि यद्यपि संवैधानिक सुरक्षा उपाय और कल्याणकारी योजनाएँ मौजूद हैं, फिर भी पितृसत्तात्मक मानदंडों, सीमित साक्षरता, आर्थिक निर्भरता और कमजोर संस्थागत पहुँच के कारण उनका प्रभावी कार्यान्वयन असमान बना हुआ है। यह शोधपत्र अनुसूचित जाति की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, न्याय तक पहुँच में सुधार लाने और समावेशी सामाजिक–कानूनी सुधारों को बढ़ावा देने की सिफारिशों के साथ समाप्त होता है।

कीवर्ड: *अनुसूचित जाति की महिलाएँ, सामाजिक–कानूनी स्थिति, कानूनी जागरूकता, लैंगिक और जातिगत भेदभाव, सामाजिक न्याय।*

1. परिचय

महिलाओं के अधिकार भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की आधारशिला रहे हैं, जो समानता, सम्मान और भेदभाव से मुक्ति सुनिश्चित करते हैं। इसके बावजूद, लैंगिक और जातिगत पदानुक्रम के दोहरे बोझ के

ISSN: 2321-3914
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

कारण अनुसूचित जाति की महिलाओं को लगातार हाशिए पर धकेला जा रहा है। डॉ. बी. आर. अंबेडकर के नाम पर बसा अंबेडकर नगर जिला, संवैधानिक आदर्शों को दलित महिलाओं के जीवंत अनुभवों में वास्तविक रूप से अनुवादित करने का एक प्रतिनिधि स्थल प्रदान करता है।

अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि सच्चे सशक्तिकरण के लिए न केवल औपचारिक कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता होती है, बल्कि सामाजिक स्वीकृति, जागरूकता और अधिकारों का दावा करने की व्यावहारिक क्षमता की भी आवश्यकता होती है। सामाजिक–कानूनी दृष्टिकोण से, यह शोधपत्र महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, कानूनी सुरक्षा और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी तक पहुँच की जाँच करता है और यह आकलन करता है कि सरकारी नीतियाँ, सांस्कृतिक मानदंड और संस्थागत ढाँचे उनकी स्थिति को कैसे आकार देते हैं।

1.1 अध्ययन के उद्देश्य

1. अंबेडकर नगर में अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का आकलन करना।
2. संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रति उनकी जागरूकता और पहुँच का मूल्यांकन करना।
3. उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर सरकारी योजनाओं और नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करना।
4. न्याय और शासन में उनकी भागीदारी को प्रभावित करने वाली प्रमुख सामाजिक–सांस्कृतिक और संस्थागत बाधाओं की पहचान करना।

2. साहित्य समीक्षा

अली (2013) ने भारतीय संवैधानिक ढाँचे के भीतर अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की जाँच की, और इस बात पर जोर दिया कि अल्पसंख्यक शिक्षा के कानूनी प्रावधान समानता और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए थे। अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि संवैधानिक गारंटियों के बावजूद, इन अधिकारों का वास्तविक कार्यान्वयन विभिन्न क्षेत्रों में असंगत रहा है। अली ने देखा कि सामाजिक और आर्थिक बाधाएँ अक्सर अल्पसंख्यक समुदायोंकृविशेषकर महिलाओंकृको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने से रोकती हैं। इस शोध ने यह समझने में योगदान दिया कि कैसे संवैधानिक तंत्र, हालांकि प्रगतिशील इरादे से, हाशिए के समूहों के लिए समावेशिता और न्याय के अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाए हैं।

Airo National Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2321-3914
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

दास (2018) ने बिहार में पुरुषों के पलायन और ग्रामीण महिलाओं पर इसके प्रभाव पर एक सामाजिक–कानूनी अध्ययन किया, जिसमें खुलासा हुआ कि घरों में पुरुष सदस्यों की अनुपस्थिति ने महिलाओं की जिम्मेदारियों और कमजोरियों को बढ़ा दिया है। अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं को घरेलू और आर्थिक दोनों भूमिकाएँ निभाने के लिए मजबूर किया जाता है, अक्सर बिना किसी कानूनी सुरक्षा या संस्थागत समर्थन के। दास ने कहा कि पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाओं और महिला–केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं के कमजोर प्रवर्तन ने लैंगिक असमानताओं को और गहरा कर दिया है। शोध ने सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन के संदर्भ में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा में कानूनी जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया।

गवास (2018) ने अनुसूचित जनजातियों के विशेष संदर्भ में भारतीय संविधान के तहत शिक्षा के अधिकार का विश्लेषण किया, शैक्षिक विकास को व्यापक सामाजिक और आर्थिक उन्नति से जोड़ा। लेखक ने तर्क दिया कि शिक्षा हाशिए के समूहों के लिए सशक्तिकरण और सामाजिक गतिशीलता के प्रमुख चालक के रूप में कार्य करती है। अध्ययन में बताया गया है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक मान्यता मिलने के बावजूद, गरीबी, भेदभाव और संस्थागत बुनियादी ढाँचे की कमी जैसी प्रणालीगत चुनौतियाँ अनुसूचित जनजाति की आबादी के लिए शिक्षा तक पहुँच में बाधा बनी हुई हैं। गवास के निष्कर्षों ने शिक्षा के माध्यम से समानता की खोज में अनुसूचित जातियों सहित अन्य वंचित समूहों पर लागू व्यापक मुद्दों को प्रतिबिंबित किया।

कराडे (2009) ने भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास पर एक व्यापक खंड का संपादन किया, जिसमें ऐतिहासिक उत्पीड़न, सामाजिक–आर्थिक असमानताओं और उनके उत्थान के उद्देश्य से नीतिगत हस्तक्षेपों पर शोध संकलित किया गया था। इस खंड में इस बात की जाँच की गई कि रचनात्मक कार्रवाई नीतियों, शैक्षिक सुधारों और सामाजिक–कानूनी उपायों ने क्रमिक सुधार में योगदान दिया, हालाँकि जातिगत पदानुक्रम अभी भी गहरे बैठे थे। कराडे के कार्य ने सामाजिक न्याय में बाधा डालने वाली संरचनात्मक बाधाओं की व्यापक समझ प्रदान की और हाशिए पर पड़े समुदायों के कानूनी सशक्तिकरण और सामाजिक–आर्थिक समावेशन की निरंतर आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

3. शोध पद्धति

अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक–कानूनी स्थिति को समझने के लिए एक व्यवस्थित और सावधानीपूर्वक संरचित पद्धतिगत ढाँचे की आवश्यकता है। इस अध्ययन में अपनाई गई पद्धति, शोध के उद्देश्यों से संबंधित जानकारी एकत्र करने, व्यवस्थित करने और उसका विश्लेषण करने की समग्र योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह डिजाइन, नमूनाकरण और डेटा–संग्रह प्रक्रियाओं के चयन के पीछे के

ISSN: 2321-3914
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

तर्क की व्याख्या करती है, और दर्शाती है कि गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टिकोणों का संयोजन निष्कर्षों की विश्वसनीयता और वैधता को कैसे मजबूत करता है। अनुभवजन्य क्षेत्र कार्य और द्वितीयक स्रोत विश्लेषण, दोनों का उपयोग करके, यह अध्ययन अंबेडकर नगर जिले में अनुसूचित जाति की महिलाओं के जीवंत अनुभवों को समझने और उनके दैनिक जीवन को आकार देने वाली सामाजिक और कानूनी वास्तविकताओं की व्याख्या करने का प्रयास करता है।

3.1 शोध अभिकल्प

वर्तमान अध्ययन उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में अनुसूचित जाति (एससी) की महिलाओं की सामाजिक–कानूनी स्थिति की जाँच हेतु एक वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध अभिकल्प को अपनाता है। अध्ययन का उद्देश्य अनुसूचित जाति की महिलाओं की मौजूदा सामाजिक–आर्थिक स्थितियों, कानूनी जागरूकता और अधिकारों तक पहुँच का वर्णन, विश्लेषण और व्याख्या करना है। वर्णनात्मक दृष्टिकोण मौजूदा वास्तविकताओं को समझने में मदद करता है, जबकि विश्लेषणात्मक आयाम इस बात का आकलन करने में सक्षम बनाता है कि सामाजिक, आर्थिक और कानूनी कारक महिला सशक्तिकरण और समानता को किस हद तक प्रभावित करते हैं।

3.2 अध्ययन की प्रकृति और दायरा

यह शोध अनुभवजन्य प्रकृति का है, जो उत्तरदाताओं की सामाजिक और कानूनी स्थितियों के गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलुओं पर केंद्रित है। यह शिक्षा, रोजगार, वैवाहिक स्थिति, कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूकता और सामाजिक–राजनीतिक संस्थाओं में भागीदारी जैसे परस्पर संबंधित आयामों की पड़ताल करता है। अध्ययन का दायरा अंबेडकर नगर जिले की विभिन्न तहसीलों में रहने वाली अनुसूचित जाति की महिलाओं तक सीमित है, इस प्रकार यह उनकी सामाजिक–कानूनी वास्तविकताओं की एक स्थानीयकृत किन्तु प्रतिनिधि समझ प्रदान करता है।

3.3 नमूनाकरण डिजाइन

उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण तकनीक का उपयोग करके अंबेडकर नगर जिले की विभिन्न तहसीलों से कुल 110 उत्तरदाताओं का चयन किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए विधि का चयन किया गया कि नमूने में विभिन्न सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, आयु वर्ग और शैक्षिक स्तर की महिलाएँ शामिल हों, जिससे अनुसूचित जाति की महिला आबादी का संतुलित प्रतिनिधित्व हो। सामाजिक–कानूनी जागरूकता और पहुँच में स्थानिक भिन्नताओं को दर्शाने के लिए ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों के उत्तरदाताओं को शामिल करने का ध्यान रखा गया।

Airo National Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2321-3914
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

3.4 आँकड़ों के स्रोत

यह अध्ययन एक व्यापक और विश्वसनीय विश्लेषण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक, दोनों आँकड़ों के स्रोतों पर आधारित है।

3.4.1 प्राथमिक आँकड़े

प्राथमिक आँकड़े उत्तरदाताओं से सीधे निम्नलिखित माध्यमों से एकत्र किए गएरू

- **संरचित साक्षात्कार अनुसूचियाँः** 110 उत्तरदाताओं को एक पूर्व–परीक्षणित, संरचित प्रश्नावली दी गई। प्रश्नों में जनसांख्यिकीय विशेषताएँ, शैक्षिक पृष्ठभूमि, आर्थिक गतिविधियाँ, कानूनी जागरूकता, कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच और अधिकारों की धारणाएँ शामिल थीं।
- **अवलोकन विधिः** प्रतिक्रियाओं को मान्य करने और सशक्तिकरण के गैर–मौखिक पहलुओं को समझने के लिए जीवन स्थितियों, सामाजिक अंतःक्रियाओं और स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी के संबंध में पूरक अवलोकन किए गए।

3.4.2 द्वितीयक आँकड़े

द्वितीयक आँकड़े विभिन्न आधिकारिक और शैक्षणिक स्रोतों से प्राप्त किए गए, जिनमें शामिल हैंरू

- सरकारी प्रकाशन, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्टें,
- महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय से संबंधित कानूनी दस्तावेज और संवैधानिक प्रावधान,
- भारत की जनगणना रिपोर्टें,
- लिंग अध्ययन, जातिगत गतिशीलता और सामाजिक–कानूनी विश्लेषण से संबंधित पुस्तकें, शोध लेख और शोध प्रबंध।

दोनों आँकड़ों के स्रोतों का संयोजन निष्कर्षों की वैधता और प्रासंगिक समृद्धि सुनिश्चित करता है।

4. परिणाम और चर्चा

यह अध्याय अंबेडकर नगर जिले की 110 अनुसूचित जाति की महिलाओं से एकत्रित आँकड़ों के आधार पर अध्ययन के अनुभवजन्य निष्कर्षों को प्रस्तुत और व्याख्यायित करता है। विश्लेषण का उद्देश्य आयु, वैवाहिक स्थिति, धर्म और शिक्षा जैसे प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक चरों के माध्यम से उनकी सामाजिक–आर्थिक और कानूनी स्थिति को समझना है। ये आयाम महिलाओं की जागरूकता, अधिकारों तक पहुँच और सामाजिक एवं कानूनी संस्थाओं में उनकी भागीदारी के स्तर का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जाति की महिलाओं के जीवन की वास्तविकताओं को स्पष्ट करने

Airo National Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2321-3914
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

वाले पैटर्न और प्रवृत्तियों को उजागर करने के लिए प्रत्येक चर का सांख्यिकीय सारणीकरण और चित्रमय निरूपण के माध्यम से विश्लेषण किया गया है। चर्चा आगे इन पैटर्नों की व्याख्या उन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों के आलोक में करती है जो महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज की व्यापक प्रक्रिया में उनके समावेश को प्रभावित करते रहते हैं। सामाजिक न्याय।

4.1 आयु संरचना

तालिका 1 उत्तरदाताओं का उनके आयु समूह के अनुसार वितरण प्रस्तुत करती है। कुल नमूने में अंबेडकर नगर जिले की 110 अनुसूचित जाति की महिलाएं शामिल हैं। डेटा को पांच आयु श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः 20 वर्ष से कम, 21–30 वर्ष, 31–40 वर्ष, 41–50 वर्ष, और 51 वर्ष और उससे अधिक। यह वर्गीकरण उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय संरचना और सामाजिक–आर्थिक और कानूनी गतिविधियों में उनकी संभावित भागीदारी के स्तर को समझने में मदद करता है।

तालिका 1: उत्तरदाताओं की आयु संरचना

आयु समूह (वर्षों में)	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
20 वर्ष से कम	11	10.0
21 – 30 वर्ष	33	30.0
31 – 40 वर्ष	26	24.0
41 – 50 वर्ष	22	20.0
51 वर्ष और उससे अधिक	18	16.0
कुल	**110**	**100.0**

तालिका 1 का डेटा दिखाता है कि ज्यादातर जवाब देने वाले (54%) 21–40 साल के एज ग्रुप में आते हैं, जो आबादी का एक्टिव और आर्थिक रूप से प्रोडक्टिव हिस्सा है। इससे पता चलता है कि सर्वे में शामिल ज्यादातर महिलाएं वर्किंग–एज ग्रुप में हैं, जो घर और कम्युनिटी के कामों में योगदान देने में सक्षम हैं। लगभग 36% जवाब देने वाले 40 साल से ज्यादा उम्र के हैं, जो ज्यादा उम्र की महिलाओं का एक मॉडरेट रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मोबिलिटी शायद कम

ISSN: 2321-3914
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

हो। वहीं, सिर्फ 10% लोग 20 साल से कम उम्र के हैं, जो कम युवा पार्टिसिपेंट्स का संकेत देता है, शायद लगातार पढ़ाई में लगे रहने या गार्जियन पर निर्भरता के कारण।

थ्यहनतम 1, जवाब देने वालों की उम्र के कंपोजिशन को परसेंटेज के रूप में ग्राफिकली दिखाता है। यह विजुअल साफ तौर पर दिखाता है कि 21–30 साल और 31–40 साल के एज ग्रुप मिलकर ज्यादातर हिस्सा बनाते हैं, जबकि छोटे हिस्से 20 साल से कम और 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को दिखाते हैं। यह चार्ट बीच की उम्र की कैटेगरी में जवाब देने वालों की संख्या को विजुअलाइज करने में मदद करता है, और उनकी संख्या में ज्यादा होने पर जोर देता है।

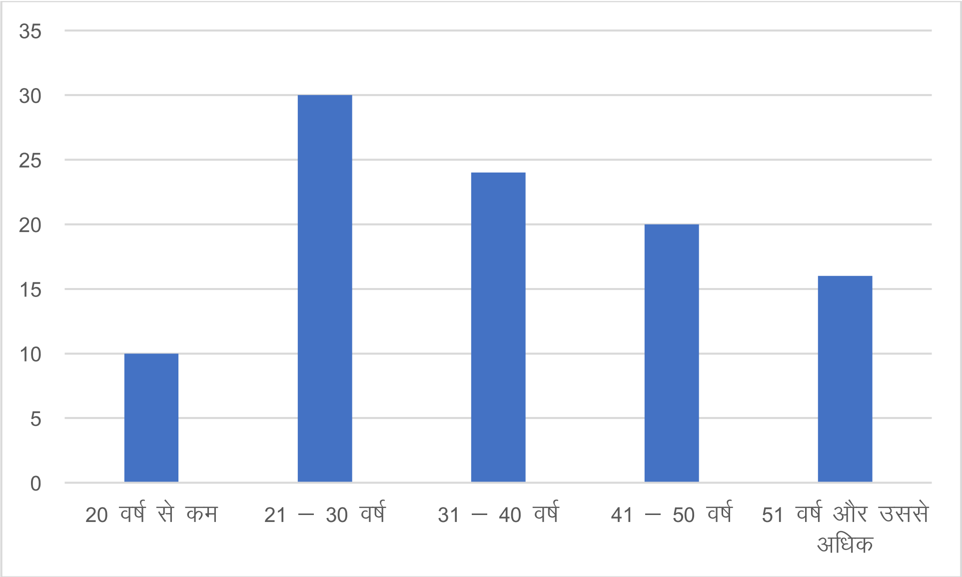

चित्र 1: जवाब देने वालों की उम्र के हिसाब से प्रतिषत का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेषन

ग्राफिकल रिप्रेजेंटेषन टैब्यूलेटेड डेटा को मजबूत करता है, जिससे पता चलता है कि ज्यादातर जवाब देने वाले (54%) 21–40 साल के एज ग्रुप के हैं। इसका मतलब है कि स्टडी सैंपल में एक्टिव, काम करने वाली उम्र की आबादी ज्यादा है। इस एज ग्रुप की महिलाओं के सामाजिक रूप से ज्यादा षामिल होने, आर्थिक रूप से एक्टिव होने और सरकारी वेलफेयर प्रोग्राम और कानूनी संस्थानों के संपर्क में आने की संभावना ज्यादा होती है। ज्यादा उम्र के ग्रुप (41 साल और उससे ज्यादा) में भागीदारी में धीरे–धीरे कमी, जागरूकता में पीढ़ीगत अंतर और सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाओं के बने रहने को दिखाती है जो ज्यादा उम्र की महिलाओं को औपचारिक और सार्वजनिक जीवन में शामिल होने से रोकती हैं।

4.2 वैवाहिक स्थिति

Airo National Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2321-3914
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

तालिका 2 जवाब देने वालों की वैवाहिक स्थिति के अनुसार उनका डिस्ट्रीब्यूषन दिखाता है। अंबेडकर नगर जिले में सर्वे की गई कुल 110 अनुसूचित जाति की महिलाओं में से, डेटा तीन मुख्य वैवाहिक कैटेगरी दिखाता हैरू षादीषुदा, अविवाहित और विधवा। यह क्लासिफिकेषन महिलाओं की सामाजिक–कानूनी जागरूकता और भागीदारी को प्रभावित करने वाले सामाजिक बैकग्राउंड और पारिवारिक संरचना को समझने में मदद करता है।

तालिका 2: जवाब देने वालों की वैवाहिक स्थिति

वैवाहिक स्थिति	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**
विवाहित	66	60.0
अविवाहित	26	24.0
विधवा	11	10.0
कुल	**110**	**100.0**

डेटा से पता चलता है कि ज्यादातर जवाब देने वाली महिलाएं – 60% – शादीशुदा हैं, जबकि 24% अविवाहित हैं और 10% विधवा हैं। शादीशुदा महिलाओं की ज्यादा संख्या यह दिखाती है कि ज्यादातर जवाब देने वाली महिलाएं पारंपरिक पारिवारिक माहौल में रहती हैं, जो अक्सर उनकी सामाजिक भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और अवसरों तक पहुंच को तय करता है। अविवाहित महिलाओं का अनुपात (24%) युवा आबादी को दिखाता है जो शायद अभी भी पढ़ाई कर रही हैं या अपने परिवारों पर निर्भर हैं। वहीं, विधवा महिलाएं (10%) एक सामाजिक रूप से कमजोर ग्रुप का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अक्सर आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक उपेक्षा का सामना करती हैं, खासकर जाति से प्रभावित ग्रामीण ढांचों में।

चित्र 2 ग्राफिक रूप से जवाब देने वालों के वैवाहिक स्थिति के अनुसार प्रतिशत में वितरण को दिखाता है। यह विजुअल रिप्रेजेंटेशन शादीशुदा महिलाओं का साफ दबदबा दिखाता है, जबकि अविवाहित और विधवा कैटेगरी का अनुपात तुलनात्मक रूप से कम है।

Airo National Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2321-3914
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

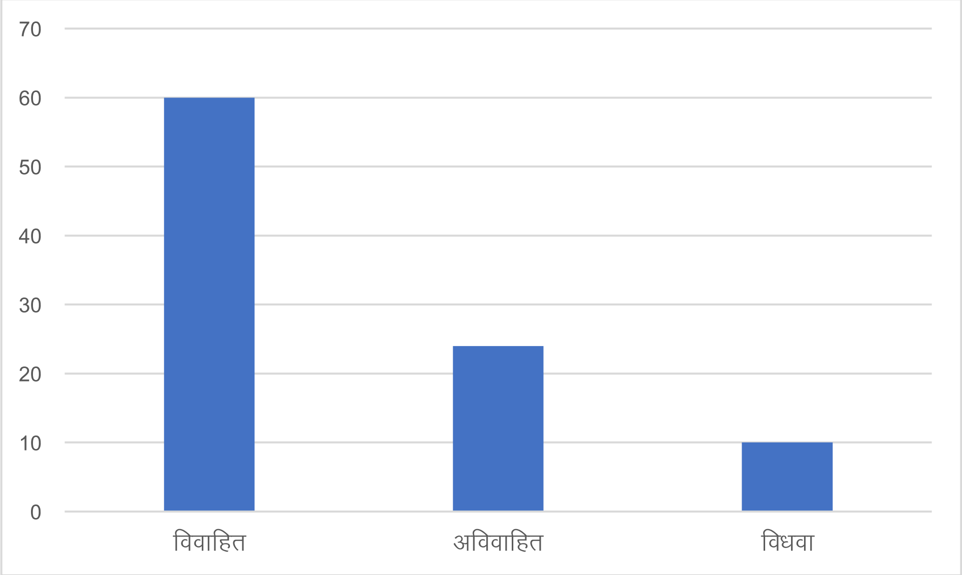

चित्र 2: जवाब देने वालों की वैवाहिक स्थिति के प्रतिषत का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेषन

ग्राफिकल रिप्रेजेंटेषन से यह कन्फर्म होता है कि जवाब देने वालों में षादीषुदा महिलाएं सबसे बड़ा ग्रुप (60%) बनाती हैं। यह बताता है कि अंबेडकर नगर जिले में महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक भागीदारी और कानूनी जागरूकता को वैवाहिक और पारिवारिक संरचनाएं ही तय करती हैं। अविवाहित महिलाएं (24%) एक उभरता हुआ ग्रुप हैं जो षिक्षा और सामाजिक बदलाव के लिए ज्यादा खुले हैं, जबकि विधवाएं (10%) एक हाषिये पर पड़ा सबग्रुप हैं जिन्हें खास कल्याण और कानूनी सहायता की जरूरत है। इसलिए, यह आंकड़ा इस बात पर जोर देता है कि वैवाहिक स्थिति महिलाओं के सषक्तिकरण, संसाधनों तक पहुंच और सामाजिक भागीदारी से सीधे तौर पर कैसे जुड़ी हुई है।

4.3 धर्म

तालिका 3 इस स्टडी में षामिल जवाब देने वालों की धार्मिक बनावट को दिखाता है। डेटा जवाब देने वालों को चार धार्मिक ग्रुप में बांटता हैरू हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई। यह क्लासिफिकेषन अंबेडकर नगर जिले में अनुसूचित जाति की महिलाओं के बीच धार्मिक विविधता के बारे में जानकारी देता है और यह समझने में मदद करता है कि आस्था–आधारित सांस्कृतिक नियम उनकी सामाजिक–कानूनी जागरूकता और भागीदारी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।

तालिका 3: जवाब देने वालों की धार्मिक बनावट

धर्म	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**

Airo National Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2321-3914
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

हिंदू	88	80.0
मुस्लिम	13	12.0
बौद्ध	6	5.0
ईसाई	3	3.0
कुल	**110**	**100.0**

डेटा से पता चलता है कि ज़्यादातर जवाब देने वाले — 80% — हिंदू धर्म के हैं, जबकि 12% मुस्लिम, 5% बौद्ध और 3% ईसाई हैं। यह डिस्ट्रीब्यूशन साफ तौर पर दिखाता है कि हिंदू दलित महिलाएं जिले में सबसे बड़ा धार्मिक समूह बनाती हैं। मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई, हालांकि कम संख्या में हैं, लेकिन वे सामाजिक ताने—बाने में विविधता लाते हैं। बौद्ध जवाब देने वाले ज़्यादातर डॉ. बी.आर. अंबेडकर की सामाजिक समानता और जाति—आधारित भेदभाव से मुक्ति की विचारधारा से प्रेरित नव—बौद्ध दलित धर्मान्तरित लोग हैं।

चित्र 3 धर्म के अनुसार जवाब देने वालों का प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली दिखाता है। यह विजुअल रिप्रेजेंटेशन हिंदू जवाब देने वालों की भारी संख्या को दिखाता है, जिसके बाद मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई महिलाओं का छोटा अनुपात है। यह चार्ट स्टडी एरिया के अंदर धार्मिक विविधता और हिंदू धर्म के प्रभुत्व की साफ विजुअल समझ देता है।

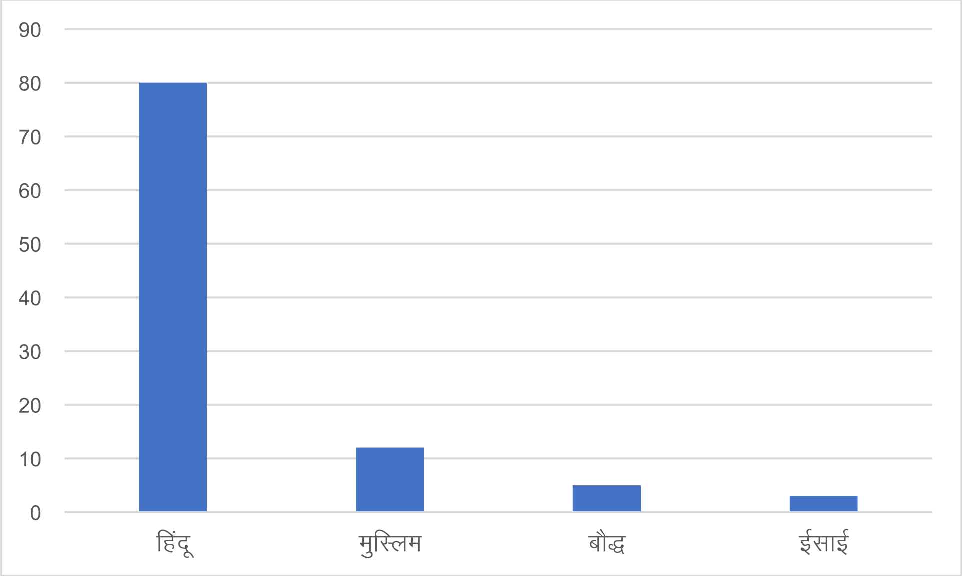

Airo National Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2321-3914
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

चित्र 3: जवाब देने वालों की धार्मिक बनावट के प्रतिषत का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेषन

यह चित्र दिखाता है कि 80% जवाब देने वाले खुद को हिंदू मानते हैं, जिससे अंबेडकर नगर जिले में हिंदू दलित महिलाओं का दबदबा साबित होता है। 12% मुस्लिम, 5% बौद्ध और 3% ईसाई जवाब देने वाले मिलकर एक छोटा लेकिन सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समूह बनाते हैं। यह विविधता अनुसूचित जाति समुदाय के भीतर अलग–अलग सांस्कृतिक परंपराओं और विष्वास प्रणालियों के एक साथ रहने का संकेत देती है। हालांकि हिंदू दलित महिलाएं संख्या में ज्यादा हैं, लेकिन खासकर बौद्ध महिलाएं, अंबेडकरवादी सुधार विचारधारा से जुड़े होने के कारण सामाजिक समानता और अधिकारों के बारे में ज्यादा जागरूकता दिखाती हैं।

इसलिए, डेटा सामूहिक रूप से बताता है कि धर्म, हालांकि सामुदायिक जीवन के लिए एक एकजुट करने वाला पहचान चिह्न है, फिर भी यह अनुसूचित जाति की महिलाओं के बीच सषक्तिकरण, जागरूकता और सामाजिक न्याय तंत्र तक पहुंच के अलग–अलग स्तरों को भी आकार देता है।

4.4 षिक्षा

तालिका 4 अंबेडकर नगर जिले में अनुसूचित जाति की महिला जवाब देने वालों का षैक्षिक वितरण दिखाती है। डेटा को पांच श्रेणियों में बांटा गया है – अनपढ़, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और ग्रेजुएट और उससे ऊपर। यह वर्गीकरण जवाब देने वालों के बीच षैक्षिक उपलब्धि की एक साफ तस्वीर प्रदान करता है, जो उनकी जागरूकता, रोजगार के अवसरों और कानूनी और सामाजिक अधिकारों की समझ को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है।

तालिका 4: जवाब देने वालों की षैक्षिक स्थिति

शिक्षा का स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
अनपढ़	37	34.0
प्राइमरी शिक्षा	20	18.0
मिडिल शिक्षा	22	20.0
माध्यमिक शिक्षा	22	20.0
स्नातक और उससे ऊपर	9	8.0

Airo National Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2321-3914
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

कुल	**110**	**100.0**

टेबल से पता चलता है कि 34% जवाब देने वाले अनपढ़ हैं, जो सबसे बड़ा ग्रुप है। 18% ने सिर्फ प्राइमरी शिक्षा पूरी की है, 20% मिडिल–लेवल तक पढ़े हैं, दूसरे 20% ने सेकेंडरी स्कूलिंग पूरी की है, जबकि सिर्फ 8% ने ग्रेजुएट या उससे ज्यादा शिक्षा हासिल की है। अनपढ़ लोगों का ज्यादा अनुपात (जवाब देने वालों में से एक–तिहाई से ज्यादा) जिले में अनुसूचित जाति की महिलाओं के बीच लगातार शैक्षिक पिछड़ेपन को दिखाता है। उच्च शिक्षा में सीमित प्रतिनिधित्व गरीबी, लिंग भेदभाव, कम उम्र में शादी और संस्थागत सहायता की कमी जैसी लगातार बाधाओं की ओर इशारा करता है। यह पैटर्न बताता है कि समय के साथ बुनियादी साक्षरता का स्तर तो बेहतर हुआ है, लेकिन उच्च और प्रोफेशनल शिक्षा तक पहुंच बहुत सीमित बनी हुई है। चूंकि शिक्षा सीधे तौर पर सामाजिक जागरूकता और आर्थिक आजादी से जुड़ी है, इसलिए ये नतीजे दलित महिलाओं के लिए लक्षित शैक्षिक हस्तक्षेप और वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों की जरूरत पर जोर देते हैं।

चित्र 4 जवाब देने वालों के शैक्षिक स्तरों को दिखाता है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा अनपढ़ और कम शिक्षा वाली कैटेगरी में आता है, और उच्च शिक्षा के स्तर की ओर तेजी से गिरावट आती है। यह चित्र अध्ययन आबादी के भीतर शैक्षिक असमानताओं की एक त्वरित दृश्य समझ प्रदान करता है।

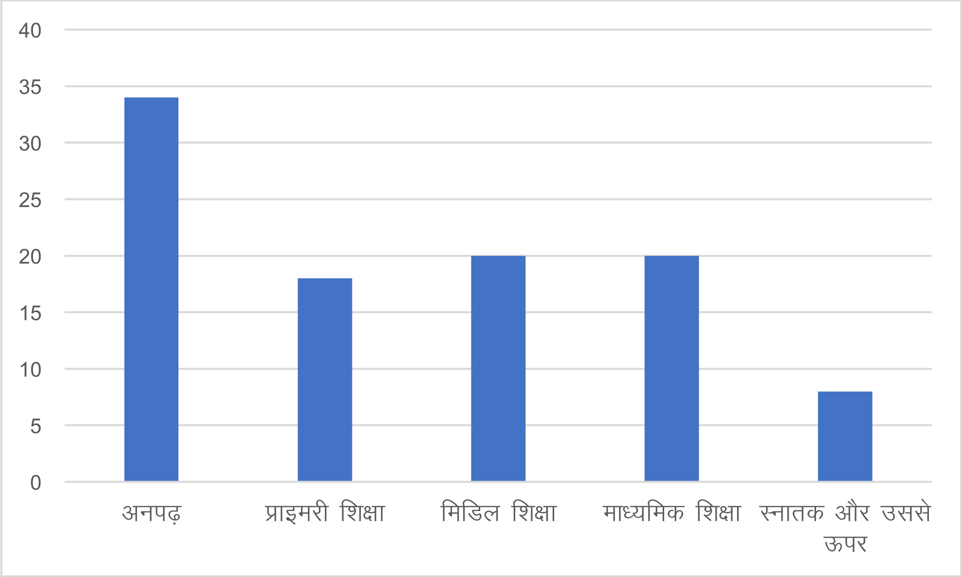

चित्र 4: उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति के प्रतिशत का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व

ISSN: 2321-3914
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

ग्राफिकल प्रतिनिधित्व अंबेडकर नगर जिले में अनुसूचित जाति की महिलाओं के बीच कम शैक्षिक उपलब्धि को उजागर करता है। 34% निरक्षर और केवल 8% स्नातक होने के साथ, डेटा से पता चलता है कि शिक्षा सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि अधिकांश महिलाओं के पास या तो कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है या केवल न्यूनतम स्कूली शिक्षा है। शिक्षा की यह कमी उन्हें सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रभावी ढंग से भाग लेने की उनकी क्षमता को सीमित करती है, संवैधानिक अधिकारों के बारे में उनकी जागरूकता को कम करती है, और परिवार के पुरुष सदस्यों पर उनकी निर्भरता को बनाए रखती है। इसलिए, विश्लेषण से पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच में सुधार – विशेष रूप से माध्यमिक और उच्च शिक्षा – जिले में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा।

5. निष्कर्ष

यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में अनुसूचित जाति ँ(६) महिलाओं की सामाजिक–कानूनी वास्तविकताओं की गहन समझ प्रदान करता है, जिससे पता चलता है कि संवैधानिक सुरक्षा उपायों और कई सरकारी पहलों के बावजूद, वे जाति, लिंग और गरीबी के परस्पर विरोधी प्रभावों के कारण एक कमजोर स्थिति में बनी हुई हैं। निष्कर्ष बताते हैं कि अधिकांश उत्तरदाता कामकाजी उम्र की आबादी (21–40 वर्ष) के हैं, मुख्य रूप से विवाहित हैं, और बड़े पैमाने पर हिंदू दलित महिलाओं के रूप में पहचान रखते हैं, जिनमें शिक्षा का स्तर कम है और अवसरों तक सीमित पहुंच है। हालांकि महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता में धीरे–धीरे प्रगति हुई है, लेकिन गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक मानदंड और जाति–आधारित भेदभाव अभी भी उनकी सामाजिक गतिशीलता, कानूनी जागरूकता और शासन में भागीदारी को सीमित करते हैं। कई लोग घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) जैसे प्रमुख सुरक्षात्मक कानूनों से अनजान हैं, जो बढ़ी हुई कानूनी साक्षरता और संस्थागत पहुंच की तत्काल आवश्यकता को इंगित करता है। इसलिए, सच्चा सशक्तिकरण केवल कानून के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए शिक्षा, सामुदायिक जुड़ाव और प्रभावी नीति कार्यान्वयन के माध्यम से सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। शिक्षा संरचनात्मक बाधाओं को खत्म करने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरती है, जबकि कानूनी सहायता प्रणालियों, महिला आयोगों और पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि अधिकार व्यवहार में सुलभ हों। अंततः, महिलाओं के सामाजिक–कानूनी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, आर्थिक समावेशन, लैंगिक संवेदीकरण और जाति–संवेदनशील नीति नियोजन को एकीकृत करने वाले एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है,

ISSN: 2321-3914
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

जिससे भारतीय समाज की सबसे हाशिए पर पड़ी महिलाओं के लिए समानता, न्याय और गरिमा के संवैधानिक आदर्शों को वास्तविक जीवन में बदला जा सके।

संदर्भ

1. अली, एस. के. (2013)। 1. अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकाररू एक सामाजिक–कानूनी विश्लेषण।"त्छ 2210941 पर उपलब्ध है।
2. दास, एम. (2018). ग्रामीण बिहार में पुरुष प्रवासन और महिलाएंरू एक सामाजिक–कानूनी अध्ययन। जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स, 1(1), 21–40।
3. गावस, वी. एम. (2018). भारत के संविधान के तहत शिक्षा का अधिकार और अनुसूचित जनजातियों के बीच विकासरू एक सामाजिक–कानूनी अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ, 4(3), 63–72।
4. कराडे, जे. (सं.). (2009). भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विकास। कैम्ब्रिज स्कॉलर्स पब्लिशिंग।
5. कराडे, जे. (सं.). (2009). भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विकास। कैम्ब्रिज स्कॉलर्स पब्लिशिंग।
6. नागराजू, एम. भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उप–योजना का एक अवलोकन (2004–2012)। साक्षरता, 65(55), 69।
7. नंदे, ए., झा, वी., और आर्यन, ए. (2021). अस्पृश्यतारू एक सामाजिक कानूनी अध्ययन। इंडियन श्रस् और लीगल त्ेवी., 3, 1।
8. नायक, एस. सी. (2013). भारत में महिलाओं की स्थिति–एक सामाजिक–कानूनी अध्ययन। जेनिथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, 3(4), 294–306।
9. पांडे, बी. एन. (2000). अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का सामाजिक–कानूनी अध्ययन। ।च्भ् पब्लिशिंग।
10. रशीद, क्यू. एस., और शर्मा, ए. के. (2021). न्याय का एक वैकल्पिक प्रस्तावरू मुस्लिम महिला कार्यकर्ता और भारत में सामाजिक–कानूनी वास्तविकताएं। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस स्टडीज, 22(1), 270–292।
11. सैनी, ए. (2020). श्सत्य से आगे जानाश्–आधुनिक भारत में महिला सशक्तिकरण का सामाजिक–कानूनी विश्लेषण। अंक 3 इंटश्ल श्रस् डहउज. – ह्यूमन., 3, 270.
12. सरदेसाई, एम. एस. यू. (2019). घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 और गोवा राज्य में इसके नतीजों का एक सामाजिक–कानूनी अध्ययन।

ISSN: 2321-3914
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

13. शाह, पी. (2022). महिला और महिला सशक्तिकरण से संबंधित सामाजिक–कानूनी अधिनियमों का महत्वपूर्ण मूल्यांकन। अंक 4 इंडियन श्रस – लीगल रिसर्च, 4, 1.

14. थारा, के. (2022). स्वामित्वरू एक सामाजिक–कानूनी विश्लेषण। सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस (बैम्च, 1–24.

15. तिवारी, आर. आर. (2020). भारत में वेश्यावृत्ति का सामाजिक–कानूनी विश्लेषण। जस कॉर्पस स्श्र, 1, 155.

Author's Declaration

I as an author of the above research paper/article, here by, declare that the content of this paper is prepared by me and if any person having copyright issue or patent or anything otherwise related to the content, I shall always be legally responsible forany issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website /amendments /updates, I have resubmitted my paper for publication on the same date. If any data or information given by me is not correct, I shall always be legally responsible.With my whole responsibility legally and formally have intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide (if any) or expert to make it sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and hentriacontane is genuinely mine. If any issue arises related to Plagiarism/ Guide Name/ Educational Qualification /Designation /Address of my university/ college/institution/ Structure or Formatting/ Resubmission /Submission /Copyright /Patent /Submission for any higher degree or Job/Primary Data/Secondary Data Issues. I will be solely/entirely responsible for any legal issues. I have been informed that the most of the data from the website is invisible or shuffled or vanished from the database due to some technical fault or hacking and therefore the process of resubmission is there for the scholars/students who finds trouble in getting their paper on the website. At the time of resubmission of my paper I take all the legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents (Andhra/Driving License/Any Identity Proof and Photo) in spite of demand from the publisher then my paper maybe rejected or removed from the website anytime and may not be consider for verification. I accept thefact that as the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher (Airo International Journal/Airo National Research Journal) is never responsible. I also declare that if publisher finds Any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper maybe removed from the website or the watermark of remark/actuality maybe mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal action against me.

Sangita Tripathi
Prof. Aradhana Srivastava

******